"शिक्षा में नवाचार के माध्यम से छात्र रोजगार क्षमता बढ़ाना: नई शिक्षा नीति का प्रभाव"

श्री सुशील कुमार

रिसर्च स्कॉलर, शिक्षा विभाग

महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय, उत्तराखंड

संक्षेप

दुनिया में नॉलेज के मामले में तेज़ी से बदलाव हो रहे हैं। बिग डेटा, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी कई बड़ी साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल तरक्की के साथ, दुनिया भर में कई अनस्किल्ड नौकरियां मशीनें ले सकती हैं, जबकि स्किल्ड वर्कफोर्स की ज़रूरत, खासकर मैथ, कंप्यूटर साइंस और डेटा साइंस से जुड़ी, साइंस, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज में मल्टीडिसिप्लिनरी काबिलियत के साथ, तेज़ी से बढ़ेगी। क्लाइमेट चेंज, बढ़ते प्रदूषण और घटते नेचुरल रिसोर्स के साथ, दुनिया की एनर्जी, पानी, खाना और सफ़ाई की ज़रूरतों को पूरा करने के तरीके में एक बड़ा बदलाव आएगा, जिससे फिर से नए स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होगी, खासकर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट साइंस और सोशल साइंस में। एपिडेमिक और पैनडेमिक के बढ़ते मामलों से इन्फेक्शियस डिज़ीज़ मैनेजमेंट और वैक्सीन के डेवलपमेंट में मिलकर रिसर्च करने की भी ज़रूरत होगी और इसके नतीजे में पैदा होने वाले सोशल मुद्दे मल्टीडिसिप्लिनरी लर्निंग की ज़रूरत को और बढ़ा देंगे। ह्यूमैनिटीज और आर्ट की मांग बढ़ेगी, क्योंकि भारत एक डेवलप्ड देश बनने के साथ-साथ दुनिया की तीन सबसे बड़ी इकॉनमी में से एक बनने की ओर बढ़ रहा है। यह नई एजुकेशन पॉलिसी 2020, 21वीं सदी की पहली एजुकेशन पॉलिसी है और इसका मकसद हमारे देश की कई बढ़ती डेवलपमेंट से जुड़ी ज़रूरतों को पूरा करना है। यह पॉलिसी एजुकेशन स्ट्रक्चर के सभी पहलुओं में बदलाव और सुधार का प्रस्ताव करती है, जिसमें इसका रेगुलेशन और गवर्नेंस भी शामिल है, ताकि एक नया सिस्टम बनाया जा सके जो 21वीं सदी की एजुकेशन के प्रेरणा देने वाले लक्ष्यों, जिसमें SDG4 भी शामिल है, के साथ जुड़ा हो, और साथ ही भारत की परंपराओं और वैल्यू सिस्टम पर आधारित हो। एजुकेशन पॉलिसी हर व्यक्ति की क्रिएटिव क्षमता के विकास पर खास ज़ोर देती है। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि एजुकेशन को न केवल कॉग्निटिव कैपेसिटी - लिटरेसी और न्यूमरेसी की 'फाउंडेशनल कैपेसिटी' और क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी 'हायर-ऑर्डर' कॉग्निटिव कैपेसिटी - बल्कि सोशल, एथिकल और इमोशनल कैपेसिटी और स्वभाव भी डेवलप करने चाहिए।

कीवर्ड: टेक्नोलॉजी, महामारी, क्लाइमेट, शासन, नैतिक

1. परिचय

पूरी इंसानी क्षमता को पाने, एक बराबर और न्यायपूर्ण समाज बनाने और देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अच्छी क्वालिटी की शिक्षा तक सबकी पहुँच बनाना, भारत की लगातार तरक्की और आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और समानता, वैज्ञानिक तरक्की, राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक बचाव के मामले में ग्लोबल स्टेज पर लीडरशिप की चाबी है। सबके लिए अच्छी क्वालिटी की शिक्षा, हमारे देश की काबिलियत और रिसोर्स को इंसान, समाज, देश और दुनिया की भलाई के लिए डेवलप करने और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा तरीका है। अगले दस सालों में भारत में दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा लोग होंगे, और उन्हें अच्छी क्वालिटी की पढ़ाई के मौके देने की हमारी काबिलियत ही हमारे देश का भविष्य तय करेगी। ग्लोबल एजुकेशन डेवलपमेंट एजेंडा, जो 2030 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा के गोल 4 (SDG4) में दिखता है, जिसे भारत ने 2015 में अपनाया था - का मकसद 2030 तक "सबको साथ लेकर चलने वाली और बराबर क्वालिटी की शिक्षा पक्का करना और सभी के लिए ज़िंदगी भर सीखने के मौके बढ़ाना" है। इतने बड़े लक्ष्य के लिए पूरे एजुकेशन सिस्टम को सीखने को सपोर्ट करने और बढ़ावा देने के लिए फिर से बनाना होगा, ताकि 2030 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा के सभी ज़रूरी टारगेट और लक्ष्य (SDG) हासिल किए जा सकें। सच में, तेज़ी से बदलते रोज़गार के माहौल और ग्लोबल इकोसिस्टम के साथ, यह बहुत ज़रूरी होता जा रहा है कि बच्चे न सिर्फ़ सीखें, बल्कि इससे भी ज़्यादा ज़रूरी यह सीखें कि कैसे सीखना है। इसलिए, एजुकेशन को कम कंटेंट की ओर बढ़ना चाहिए, और इस बात पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि कैसे गंभीरता से सोचें और समस्याओं को हल करें, कैसे क्रिएटिव और मल्टीडिसिप्लिनरी बनें, और नए और बदलते क्षेत्रों में नई चीज़ों को कैसे इनोवेट करें, अपनाएं और अपनाएं। एजुकेशन को ज़्यादा एक्सपीरिएंशियल, होलिस्टिक, इंटीग्रेटेड, इंक्वायरी-ड्रिवन, डिस्कवरी-ओरिएंटेड, लर्नर-सेंटर्ड, डिस्कशन-बेस्ड, फ्लेक्सिबल और बेशक, मज़ेदार बनाने के लिए पेडागॉजी को डेवलप करना होगा। सिलेबस में साइंस और मैथ के अलावा बेसिक आर्ट्स, क्राफ्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, गेम्स, स्पोर्ट्स और फिटनेस, लैंग्वेज, लिटरेचर, कल्चर और वैल्यूज़ शामिल होने चाहिए, ताकि लर्नर्स के सभी एस्पेक्ट्स और काबिलियत डेवलप हो सकें; और एजुकेशन को लर्नर्स के लिए ज़्यादा वेल-राउंडेड, यूज़फुल और फुलफिलिंग बनाया जा सके। एजुकेशन को कैरेक्टर बनाना चाहिए, लर्नर्स को एथिकल, रैशनल, कम्पैशनेट और केयरिंग बनाना चाहिए, और साथ ही उन्हें फायदेमंद, फुलफिलिंग जॉब के लिए तैयार करना चाहिए। लर्निंग आउटकम्स की मौजूदा स्थिति और जो ज़रूरी है, उसके बीच के गैप को बड़े रिफॉर्म्स करके पाटा जाना चाहिए जो सिस्टम में अर्ली चाइल्डहुड केयर और हायर एजुकेशन से लेकर एजुकेशन तक हाई क्वालिटी, इक्विटी और इंटीग्रिटी लाएं। मकसद यह होना चाहिए कि इंडिया में 2040 तक एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम हो जो सबसे अच्छा हो, जिसमें सोशल या इकोनॉमिक बैकग्राउंड की परवाह किए बिना सभी लर्नर्स के लिए हाई-क्वालिटी एजुकेशन तक इक्विपमेंट एक्सेस हो।

2. स्टडी का उद्देश्य

2.1 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के स्ट्रक्चर का एनालिसिस करना।

2.2 इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से जॉब ओरिएंटेड भारत सरकार की एजुकेशन पॉलिसी का पता लगाना। 2.3 एंटरप्रेन्योरशिप के ज़रिए युवाओं को एम्पावर करने में हायर एजुकेशन सिस्टम की भूमिका को देखना।

3. रिसर्च मेथडोलॉजी

3.1 रिसर्च डिज़ाइन मेथडोलॉजी में, मैंने एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन मेथड अपनाया है। इस मेथड में सबसे पहले लिटरेचर से डेटा इकट्ठा किया है और दूसरा संबंधित सब्जेक्ट के लिए जानकार लोगों से जानकारी ली है।
3.2 डेटा कलेक्शन मेथड: इस मेथड में प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड और सेकेंडरी डेटा कलेक्शन मेथड दोनों का इस्तेमाल किया है।

4. पिछली पॉलिसी

एजुकेशन पर पिछली पॉलिसी को लागू करने में ज़्यादातर एक्सेस और इक्विटी के मुद्दों पर फोकस रहा है। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, जिसे 1992 में बदला गया था (NPE 1986/92), के अधूरे एजेंडा को इस पॉलिसी में ठीक से निपटाया गया है। पिछली पॉलिसी 1986/92 के बाद एक बड़ा डेवलपमेंट बच्चों को फ्री और कम्पलसरी एजुकेशन का अधिकार एक्ट 2009 रहा है, जिसने यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन पाने के लिए कानूनी आधार तैयार किए।

5. नई एजुकेशन पॉलिसी 2020

पुराने और शाश्वत भारतीय ज्ञान और विचार की समृद्ध विरासत इस पॉलिसी के लिए एक गाइड रही है। भारतीय विचार और फिलॉसफी में ज्ञान, समझदारी और सच्चाई की खोज को हमेशा इंसान का सबसे बड़ा लक्ष्य माना गया है। पुराने भारत में शिक्षा का मकसद सिर्फ इस दुनिया में या स्कूल से आगे की ज़िंदगी की तैयारी के लिए ज्ञान हासिल करना नहीं था, बल्कि खुद को पूरी तरह से महसूस करना और आज़ादी देना था। पुराने भारत के वर्ल्ड-क्लास इंस्टीट्यूशन जैसे तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी ने मल्टीडिसिप्लिनरी टीचिंग और रिसर्च के सबसे ऊंचे स्टैंडर्ड तय किए और अलग-अलग बैकग्राउंड और देशों के स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स को होस्ट किया। इंडियन एजुकेशन सिस्टम ने चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, चाणक्य, चक्रपाणि दत्ता, माधव, पाणिनि, पतंजलि, नागार्जुन, गौतम, पिंगला, शंकरदेव, मैत्रेयी, गार्गी और तिरुवल्लुवर जैसे महान स्कॉलर्स दिए, और भी बहुत कुछ, जिन्होंने मैथ, एस्ट्रोनॉमी, मेटलर्जी, मेडिकल साइंस और सर्जरी, सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, शिपबिल्डिंग और नेविगेशन, योग, फाइन आर्ट्स, शतरंज, और भी बहुत कुछ जैसे अलग-अलग फील्ड्स में दुनिया के ज्ञान में अहम योगदान दिया। इंडियन कल्चर और फिलॉसफी का दुनिया पर बहुत गहरा असर रहा है। वर्ल्ड हेरिटेज की इन रिच लेगेसी को न सिर्फ आने वाली पीढ़ियों के लिए संभालकर रखना चाहिए, बल्कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के ज़रिए उन पर रिसर्च भी करनी चाहिए, उन्हें बेहतर बनाना चाहिए और नए इस्तेमाल भी करने चाहिए। एजुकेशन सिस्टम में बुनियादी सुधारों के सेंटर में टीचर होने चाहिए। नई एजुकेशन पॉलिसी को सभी लेवल पर टीचरों को हमारे समाज के सबसे सम्मानित और ज़रूरी सदस्य के तौर पर फिर से स्थापित करने में मदद करनी चाहिए, क्योंकि वे सच में हमारे नागरिकों की अगली पीढ़ी को बनाते हैं। इसे टीचरों को मज़बूत बनाने और उन्हें अपना काम जितना हो सके अच्छे से करने में मदद करने के लिए सब कुछ करना चाहिए। नई एजुकेशन पॉलिसी को सभी लेवल पर टीचिंग प्रोफेशन में आने के लिए सबसे अच्छे और होशियार लोगों को भर्ती करने में मदद करनी चाहिए, रोज़ी-रोटी, सम्मान, गरिमा और ऑटोनॉमी पक्का करके, साथ ही सिस्टम में क्वालिटी कंट्रोल और

अकाउंटेबिलिटी के बेसिक तरीके भी डालने चाहिए। नई एजुकेशन पॉलिसी को सभी स्टूडेंट्स को, चाहे वे कहीं भी रहते हों, एक क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम देना चाहिए, जिसमें खास तौर पर ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर पड़े, वंचित और कम प्रतिनिधित्व वाले ग्रुप पर ध्यान दिया जाए। एजुकेशन एक बेहतरीन लेवलर है और आर्थिक और सामाजिक मोबिलिटी, इनक्लूजन और इक्वालिटी पाने का सबसे अच्छा टूल है। यह पक्का करने के लिए पहल की जानी चाहिए कि ऐसे ग्रुप के सभी स्टूडेंट्स को, अंदरूनी रुकावटों के बावजूद, एजुकेशन सिस्टम में आने और बेहतर करने के लिए अलग-अलग टारगेटेड मौके दिए जाएं। इन चीज़ों को देश की लोकल और ग्लोबल ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए और इसकी रिच डाइवर्सिटी और कल्चर के लिए सम्मान और आदर के साथ शामिल किया जाना चाहिए। भारत और इसकी अलग-अलग सोशल, कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल ज़रूरतों, इसकी अनोखी आर्टिस्टिक, भाषा और ज्ञान की परंपराओं, और इसके मज़बूत एथिक्स के बारे में भारत के युवाओं में जानकारी डालना, नेशनल प्राइड, सेल्फ-कॉन्फिडेंस, सेल्फ-नॉलेज, कोऑपरेशन और इंटीग्रेशन के मकसद से बहुत ज़रूरी माना जाता है।

5.1 इस पॉलिसी के सिद्धांत एजुकेशन सिस्टम का मकसद अच्छे इंसान बनाना है जो समझदारी से सोच सकें और काम कर सकें, जिनमें दया और हमदर्दी, हिम्मत और लचीलापन, साइंटिफिक सोच और क्रिएटिव कल्पना हो, और जिनके नैतिक मूल्य और मान्यताएं अच्छी हों। इसका मकसद ऐसे नागरिक तैयार करना है जो हमारे संविधान के हिसाब से एक बराबर, सबको साथ लेकर चलने वाला और अलग-अलग तरह का समाज बनाने के लिए लगे हुए, प्रोडक्टिव और योगदान देने वाले हों। एक अच्छा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वह होता है जिसमें हर स्टूडेंट का स्वागत हो और उसकी देखभाल की जाए, जहाँ एक सुरक्षित और अच्छा सीखने का माहौल हो, जहाँ सीखने के कई तरह के अनुभव दिए जाते हों, और जहाँ सभी स्टूडेंट के लिए अच्छा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सीखने के लिए सही रिसोर्स मौजूद हों। इन खूबियों को पाना हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का लक्ष्य होना चाहिए। हालाँकि, साथ ही, इंस्टीट्यूशन और एजुकेशन के सभी स्टेज में आसानी से एक साथ आना और तालमेल भी होना चाहिए।

जो बुनियादी सिद्धांत बड़े पैमाने पर एजुकेशन सिस्टम और उसके अंदर के अलग-अलग इंस्टीट्यूशन, दोनों को गाइड करेंगे, वे हैं:

- हर स्टूडेंट की खास काबिलियत को पहचानना, पहचानना और बढ़ावा देना, टीचरों के साथ-साथ माता-पिता को भी जागरूक करना ताकि हर स्टूडेंट का एकेडमिक और नॉन-एकेडमिक, दोनों तरह के क्षेत्रों में पूरा विकास हो सके;
- ग्रेड 3 तक सभी स्टूडेंट्स द्वारा बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी हासिल करने को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देना;
- फ्लेक्सिबिलिटी, ताकि सीखने वालों को अपने सीखने के तरीके और प्रोग्राम चुनने की काबिलियत मिले, और इस तरह वे अपनी प्रतिभा और रुचियों के अनुसार जीवन में अपना रास्ता चुन सकें;
- आर्ट्स और साइंस के बीच, करिकुलर और एक्स्ट्रा-करिकुलर एक्टिविटीज़ के बीच, वोकेशनल और एकेडमिक स्ट्रीम वगैरह के बीच कोई सख्त फर्क न हो, ताकि सीखने के अलग-अलग क्षेत्रों के बीच नुकसानदायक हायरार्की और साइलो को खत्म किया जा सके;
- साइंस, सोशल साइंस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ और स्पोर्ट्स में मल्टीडिसिप्लिनरी और एक होलिस्टिक एजुकेशन, ताकि एक मल्टीडिसिप्लिनरी दुनिया बन सके और सभी ज्ञान की एकता और अखंडता पक्की हो सके;

- रटने और एग्जाम के लिए सीखने के बजाय कॉन्सेप्चुअल समझ पर ज़ोर;
- लॉजिकल फैसले लेने और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग;
- एथिक्स और इंसानी और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ जैसे एंपैथी, दूसरों के लिए सम्मान, सफाई, तहज़ीब, डेमोक्रेटिक भावना, सेवा की भावना, पब्लिक प्रॉपर्टी के लिए सम्मान, साइंटिफिक सोच, आज़ादी, ज़िम्मेदारी, प्लूरलिज़्म, बराबरी और न्याय;
- सिखाने और सीखने में कई भाषाओं का इस्तेमाल और भाषा की ताकत को बढ़ावा देना;
- कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन, टीमवर्क और रेज़िलिएंस जैसे लाइफ स्किल्स;
- आज के 'कोचिंग कल्चर' को बढ़ावा देने वाले समेटिव असेसमेंट के बजाय सीखने के लिए रेगुलर फॉर्मेटिव असेसमेंट पर ध्यान देना;
- सिखाने और सीखने में टेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल, भाषा की रुकावटों को दूर करना, दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए एक्सेस बढ़ाना, और एजुकेशनल प्लानिंग और मैनेजमेंट;
- सभी करिकुलम, पेडागॉजी और पॉलिसी में डाइवर्सिटी और लोकल कॉन्टेक्स्ट का सम्मान, हमेशा यह ध्यान में रखते हुए कि एजुकेशन एक साथ चलने वाला सब्जेक्ट है;
- सभी शैक्षिक निर्णयों की आधारशिला के रूप में पूर्ण इक्विटी और समावेशन यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी छात्र शिक्षा प्रणाली में कामयाब हो सकें;
- प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा से लेकर स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा तक शिक्षा के सभी स्तरों पर पाठ्यक्रम में तालमेल;
- सीखने की प्रक्रिया के दिल के रूप में शिक्षक और संकाय – उनकी भर्ती, निरंतर पेशेवर विकास, सकारात्मक कार्य वातावरण और सेवा की शर्तें;
- स्वायत्तता, सुशासन और सशक्तीकरण के माध्यम से नवाचार और लीक से हटकर विचारों को प्रोत्साहित करते हुए ऑडिट और सार्वजनिक प्रकटीकरण के माध्यम से शैक्षिक प्रणाली की अखंडता, पारदर्शिता और संसाधन दक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक 'हल्का लेकिन सख्त' नियामक ढांचा;
- उत्कृष्ट शिक्षा और विकास के लिए एक आवश्यक शर्त के रूप में उत्कृष्ट अनुसंधान;
- शैक्षिक विशेषज्ञों द्वारा निरंतर अनुसंधान और नियमित मूल्यांकन के आधार पर प्रगति की निरंतर समीक्षा।

6. नई एजुकेशन पॉलिसी का विज़न

यह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भारतीय मूल्यों पर आधारित एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम की कल्पना करती है जो सीधे तौर पर इंडिया, यानी भारत को एक बराबर और जीवंत नॉलेज सोसाइटी में बदलने में योगदान दे। यह सभी को हाई-क्वालिटी एजुकेशन देकर, और इस तरह इंडिया को एक ग्लोबल नॉलेज सुपरपावर बनाएगा। पॉलिसी में यह सोचा गया है कि हमारे इंस्टीट्यूशन्स का करिकुलम और पढ़ाने का तरीका स्टूडेंट्स में फंडामेंटल ड्यूटीज़ और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के प्रति गहरी इज्ज़त, अपने देश के साथ जुड़ाव, और बदलती दुनिया में अपनी भूमिकाओं और ज़िम्मेदारियों के बारे में जागरूक होना चाहिए। पॉलिसी का विज़न

स्टूडेंट्स में भारतीय होने का गहरा गर्व पैदा करना है, न केवल सोच में, बल्कि आत्मा, बुद्धि और कामों में भी, साथ ही ज्ञान, स्किल्स, वैल्यूज़ और स्वभाव विकसित करना है जो ह्यूमन राइट्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और जीवन, और ग्लोबल वेल-बीइंग के प्रति ज़िम्मेदार कमिटमेंट को सपोर्ट करते हैं, जिससे एक सच्चा ग्लोबल नागरिक दिखाई दे।

इस नीति में यह परिकल्पना की गई है कि स्कूली शिक्षा में मौजूदा 10 + 2 संरचना को 5 + 3 + 3 + 4 के नए शैक्षणिक और पाठ्यचर्या पुनर्गठन के साथ संशोधित किया जाएगा, जैसा कि प्रतिनिधि आंकड़े में दिखाया गया है, 3-18 वर्ष की आयु को कवर करता है। वर्तमान में, 3-6 आयु वर्ग के बच्चों को 10 + 2 संरचना में शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि कक्षा 1 6 साल की उम्र से शुरू होती है। नई 5 + 3 + 3 + 4 संरचना में, 3 वर्ष की आयु से प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) का एक मजबूत आधार भी शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य बेहतर समग्र सीखने, विकास और कल्याण को बढ़ावा देना है। 85% से अधिक बच्चे का संचयी मस्तिष्क विकास 6 वर्ष की आयु से पहले होता है, जो स्वस्थ मस्तिष्क विकास और वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए शुरुआती वर्षों में मस्तिष्क की उचित देखभाल और उत्तेजना के महत्वपूर्ण महत्व को दर्शाता है। ECCE में मज़बूत इन्वेस्टमेंट से सभी छोटे बच्चों को ऐसी एक्सेस मिल सकती है, जिससे वे ज़िंदगी भर एजुकेशन सिस्टम में हिस्सा ले सकें और आगे बढ़ सकें। इसलिए, अच्छी क्वालिटी के शुरुआती बचपन के विकास, देखभाल और शिक्षा का यूनिवर्सल इंतज़ाम जल्द से जल्द और 2030 के बाद नहीं, किया जाना चाहिए, ताकि यह पक्का हो सके कि ग्रेड 1 में आने वाले सभी स्टूडेंट स्कूल के लिए तैयार हों। ऊपर बताए गए स्टेज पूरी तरह से करिकुलर और पेडागॉजिकल हैं, जिन्हें बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के आधार पर स्टूडेंट के लिए लर्निंग को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए डिज़ाइन किया गया है; वे हर स्टेज पर नेशनल और स्टेट करिकुलम और टीचिंग-लर्निंग स्ट्रेटेजी के डेवलपमेंट में मदद करेंगे, लेकिन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में पैरेलल बदलाव की ज़रूरत नहीं होगी।

6.1.1 स्कूलों में करिकुलम और पेडागॉजी: लर्निंग होलिस्टिक, इंटीग्रेटेड, मज़ेदार और एंगेजिंग होनी चाहिए,

स्कूल करिकुलम और पेडागॉजी को एक नए 5+3+3+4 डिज़ाइन में रीस्ट्रक्चर करना।

6.1.1.1 स्कूली शिक्षा के करिकुलर और पेडागॉजिकल स्ट्रक्चर को फिर से बनाया जाएगा ताकि इसे क्रमशः 3-8, 8-11, 11-14, और 14-18 साल की उम्र के हिसाब से, विकास के अलग-अलग स्टेज पर सीखने वालों की विकास संबंधी ज़रूरतों और रुचियों के हिसाब से रिस्पॉन्सिव और रेलिवेंट बनाया जा सके। इसलिए पाठ्यचर्या और शैक्षणिक संरचना और स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या रूपरेखा 5+3+3+4 डिजाइन द्वारा निर्देशित होगी, जिसमें आधारभूत चरण (दो भागों में, यानी, आंगनवाड़ी/प्री-स्कूल के 3 साल + प्राथमिक स्कूल में 2 साल ग्रेड 1-2 में; दोनों एक साथ 3-8 वर्ष की आयु को कवर करेंगे), प्रारंभिक चरण (ग्रेड 3-5, 8-11 वर्ष की आयु को कवर करेंगे), मध्य चरण (ग्रेड 6-8, 11-14 वर्ष की आयु को कवर करेंगे), और माध्यमिक चरण (दो चरणों में ग्रेड 9-12, यानी पहले में 9 और 10 और दूसरे में 11 और 12, 14-18 वर्ष की आयु को कवर करेंगे)।

6.1.1.2 आधारभूत चरण में पांच साल का लचीला, बहुस्तरीय, खेल/गतिविधि-आधारित शिक्षण और ईसीसीई का पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धति शामिल होगी प्रिपरेटरी स्टेज में तीन साल की पढ़ाई होगी, जो फाउंडेशनल स्टेज के खेल, खोज और एक्टिविटी पर आधारित पढ़ाई और करिकुलर स्टाइल पर आधारित होगी। इसमें कुछ हल्की टेक्स्ट बुक्स के साथ-साथ ज़्यादा फॉर्मल लेकिन इंटरैक्टिव क्लासरूम लर्निंग के पहलू भी शामिल किए जाएंगे, ताकि पढ़ना, लिखना, बोलना, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट, भाषाएं, साइंस और मैथेमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में एक ठोस नींव रखी जा सके। मिडिल स्टेज में तीन साल की पढ़ाई होगी, जो प्रिपरेटरी स्टेज के पढ़ाई और करिकुलर स्टाइल पर आधारित होगी, लेकिन इसमें साइंस, मैथेमेटिक्स, आर्ट्स, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज जैसे हर सब्जेक्ट में ज़्यादा एब्सट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को सीखने और उन पर चर्चा करने के लिए सब्जेक्ट टीचर्स को शामिल किया जाएगा, जिनके लिए स्टूडेंट्स इस स्टेज पर तैयार होंगे। ज़्यादा स्पेशल सब्जेक्ट्स और सब्जेक्ट टीचर्स को शामिल करने के बावजूद, हर सब्जेक्ट में एक्सपीरिएंशियल लर्निंग और अलग-अलग सब्जेक्ट्स के बीच संबंधों की खोज को बढ़ावा दिया जाएगा और इस पर ज़ोर दिया जाएगा। सेकेंडरी स्टेज में चार साल की मल्टीडिसिप्लिनरी पढ़ाई होगी, जो मिडिल स्टेज के सब्जेक्ट-ओरिएंटेड पढ़ाई और करिकुलर स्टाइल पर आधारित होगी, लेकिन इसमें ज़्यादा गहराई, ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग, ज़िंदगी की उम्मीदों पर ज़्यादा ध्यान, और सब्जेक्ट्स की ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और स्टूडेंट की पसंद होगी। खास तौर पर, स्टूडेंट्स के पास Grade 10 के बाद स्कूल छोड़ने और अगले फेज़ में दोबारा एडमिशन लेने का ऑप्शन रहेगा, ताकि वे चाहें तो Grade 11-12 में उपलब्ध वोकेशनल या कोई दूसरा कोर्स कर सकें, जिसमें ज़्यादा स्पेशलाइज़्ड स्कूल भी शामिल है।

7. एजुकेशन के हिसाब से नौकरी का टाइप

लेबर स्टडीज़ में, लोगों के काम के नेचर को तीन बड़ी कैटेगरी में समझा जाता है - सैलरी वाला, कैज़ुअल और सेल्फ-एम्प्लॉयड। सैलरी वाले वर्कर जो रेगुलर मंथली पेमेंट बेसिस पर काम करते हैं, वे लगभग पाँच में से एक इंडियन वर्कर या 130 मिलियन लोग हैं। अर्बन इंडिया में, आधी नौकरियाँ अब सैलरी वाली हैं और मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेड और टेक्नोलॉजी सेक्टर में हैं। एडवांस्ड इकॉनमी में सैलरी वाली नौकरियाँ मेन बेस हैं, लेकिन डेवलपिंग देशों में आम तौर पर इसका हिस्सा कम है और बढ़ रहा है। 20% से थोड़ा ज़्यादा, इंडिया में सैलरी वाली नौकरियों का हिस्सा चीन में 55%, श्रीलंका में 58% और US में 90% से ज़्यादा की तुलना में कम है। यह हिस्सा एक दशक से ज़्यादा समय से बदला नहीं है। एजुकेशन सैलरी वाली नौकरी के चांस बढ़ाती है - अनपढ़ वर्करों में, सिर्फ़ 6% सैलरी वाली नौकरियों में हैं, जबकि डिप्लोमा या ग्रेजुएट डिग्री वाले वर्करों में यह 57% है। जिनके पास टेक्निकल सर्टिफ़िकेट हैं, उनके बिना वालों की तुलना में सैलरी वाली नौकरियों में होने की संभावना ज़्यादा होती है।

लेकिन सैलरी वाली नौकरी का मतलब यूनिवर्सल नहीं है, और सभी सैलरी वाली नौकरियों में एक जैसे फ़ायदे नहीं होते हैं। सिर्फ़ 42% भारतीय सैलरी वाले वर्कर के पास लिखा हुआ ऑफ़िशियल कॉन्ट्रैक्ट है, 52% के पास पेड लीव की एलिजिबिलिटी है, और 46% के पास ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फ़ंड और हेल्थकेयर में से कम से कम एक सोशल सिक्योरिटी फ़ायदा है। कैज़ुअल वर्कर हर पाँच में से एक भारतीय वर्कर या करीब 120 मिलियन लोग हैं। एक कैज़ुअल वर्कर किसी और के खेत या नॉन-फ़ार्म एंटरप्राइज़ पर काम करता है और उसे रोज़ या समय-समय पर मज़दूरी मिलती है। कंस्ट्रक्शन में खास तौर पर कैज़ुअल वर्कर ज़्यादा हैं।

ज़्यादातर भारतीय वर्कर, या पाँच में से तीन, सेल्फ़-एम्प्लॉयड हैं। ग्रामीण इलाकों में खेती में सेल्फ़-एम्प्लॉयड ज़्यादा है, जबकि शहरी इलाकों में सेल्फ़-एम्प्लॉयड लोग खाने के सामान बेचने वाली छोटी दुकानें चला सकते हैं, या दर्जी और ड्राइवर हो सकते हैं।

चित्र.1 शिक्षा के अनुसार रोजगार का प्रकार (2024)

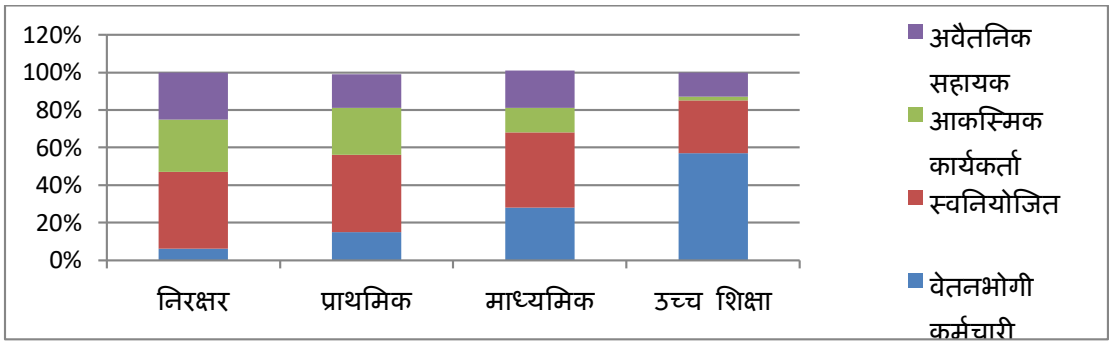

स्रोत: आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2023-2024, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय

8. निष्कर्ष

भारत में सिर्फ़ 6% वर्कर ही पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं; नॉन-एग्रीकल्चरल सेक्टर में यह हिस्सा 10% से थोड़ा ज़्यादा है। पब्लिक सेक्टर में सरकारी डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर के एंटरप्राइज़ और सरकार से फंडेड ऑटोनॉमस ऑर्गनाइज़ेशन शामिल हैं। डेवलपिंग इकॉनमी की तुलना में एडवांस्ड इकॉनमी में टोटल एम्प्लॉयमेंट में पब्लिक सेक्टर का हिस्सा ज़्यादा है। ज़्यादातर सरकारी नौकरियाँ स्कूलों, रेलवे और पब्लिक सेक्टर बैंकों में, सरकार से फंडेड रोड और दूसरे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, पावर और वॉटर सप्लाई यूटिलिटी में हैं। रूरल हेल्थ वर्कर और पंचायत अधिकारी भी रूरल गवर्नमेंट जॉब का हिस्सा हैं। दूसरे 6% फॉर्मल प्राइवेट कंपनियों के लिए काम करते हैं, जबकि नॉन-एग्रीकल्चरल सेक्टर में फॉर्मल प्राइवेट नौकरियों का हिस्सा 11% है। इस छोटे से हिस्से में, भारत की प्राइवेट सेक्टर की आधी नौकरियाँ मैन्युफैक्चरिंग में हैं, जबकि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अगला सबसे बड़ा हिस्सा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट मापने के लिए, वर्करों से पूछा जाता है कि उन्होंने पिछले साल कितने समय तक काम किया। जिस व्यक्ति ने पिछले 365 दिनों में कम से कम 30 दिन काम किया हो, उसे काम पर रखा हुआ माना जाता है, जबकि जो व्यक्ति काम ढूंढ रहा था या काम करने के लिए उपलब्ध था, लेकिन पिछले 365 दिनों में 30 दिन भी काम नहीं किया, उसे बेरोज़गार माना जाता है। लगभग 20-25 मिलियन भारतीय काम चाहते हैं, लेकिन उन्हें मिल नहीं रहा है, जिसका मतलब है कि वे बेरोज़गार हैं। इससे भारत की बेरोज़गारी दर - लेबर फ़ोर्स में 580 मिलियन भारतीयों में बेरोज़गारों का हिस्सा - 2023-24 तक 3.2% हो जाती है। शहरी इलाकों में, यह 5.1% ज़्यादा थी। भारत में बेरोज़गारी दर ज़्यादा पढ़े-लिखे लोगों में ज़्यादा है। कम इनकम वाले देशों में, स्किल्ड नौकरियां कम हो सकती हैं और स्किल और नौकरियों के बीच मिसमैच हो सकता है। इसके अलावा, ज़्यादा पढ़े-लिखे लोग ज़्यादा समय तक बेरोज़गार रह सकते हैं, और सही नौकरी की तलाश में रह सकते हैं। जबकि प्राइमरी लेवल तक पढ़े-लिखे 1% से भी कम भारतीय बेरोज़गार हैं, ग्रेजुएट डिग्री या उससे ऊपर वाले 13% से ज़्यादा लोग बेरोज़गार हैं।

9. संदर्भ

1. अग्रवाल रश्मि, इंद्रकुमार. (2014). भारत में सोशियो-इकोनॉमिक लैंडस्केप को आकार देने में वोकेशनल एजुकेशन की भूमिका. इंडियन जर्नल ऑफ़ इंडस्ट्रियल रिलेशंस, 49(3): 483-498।

2. दीवान हृदयकांत, मेहेंदले अर्चना. (2015). नई एजुकेशन पॉलिसी की ओर: दिशाएं और विचार. इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 50(48): 15-18।

3. भारत का एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट सिनारियो, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट ।

4. मिनिस्ट्री ऑफ़ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया. (1968). नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, 1968. फ्रॉम (01 मार्च 2023 को लिया गया) ।

5. जेबराज प्रिसिला. (2020). एक्सप्लेंड: व्हाई इंडियाज़ न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज़ ए बिग डील. द हिंदू, ऑनलाइन, 30 जुलाई, 2020. फ्रॉम (05 मार्च 2023 को लिया गया) ।

6. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार.(1992). राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (जैसा कि 1992 में बदला गया) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 के साथ. (01 मार्च 2023 को मिला) ।

7. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार.(1992). राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986, एक्शन प्रोग्राम, 1992. (01 मार्च 2023 को मिला) ।

8. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार.(2020). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020. <https://www.mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf> से (01 मार्च 2023 को मिला)

9. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

Copyright & License:

© Authors retain the copyright of this article. This work is published under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), permitting unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.